क्रम संख्या–105

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 05 अगस्त, 2004 ई0

श्रावण 14, 1926 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 213/विधायी एवं संसदीय कार्य/2004

देहरादून, 05 अगस्त, 2004

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 (संशोधन) विधेयक, 2004 पर श्री राज्यपाल ने दिनांक 04–08–2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 9, सन् 2004 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 (संशोधन) अधिनियम, 2004

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 09, वर्ष 2004)

उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 में अग्रेत्तर संशोधन के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा अधिनियमित–

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

(3) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल में लागू होगा।

अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (9) के बाद उपधारा (10) एवं (11) का जोड़ा जाना

2. मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (9) के बाद निम्नवत् उपधारा (10) एवं (11) जोड़ दिये जायेंगे :–

(10) "महानिदेशक पर्यटन" का तात्पर्य तत्कालीन पर्यटन निदेशालय में तत्समय नियुक्त विभागाध्यक्ष से है।

(11) "सरकारी सेवक" का तात्पर्य तत्कालीन पर्यटन निदेशालय के अधीन तत्समय कार्यरत सरकारी सेवकों से है।

मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) में संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) में पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बाद "/पदेन महानिदेशक पर्यटन" शब्द बढ़ा दिए जायेंगे।

मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) (ख) में नया खण्ड (ग) का जोड़ा जाना

4. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के बाद एक नया खण्ड (ग) निम्नवत् जोड़ दिया जायेगा :–

(ग) "पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी/पदेन महानिदेशक पर्यटन" पर्यटन निदेशालय के अधीन कार्यरत तत्समय सरकारी सेवकों के सेवा सम्बन्धी मामलों के निष्पादन हेतु महानिदेशक, पर्यटन, विभागाध्यक्ष के रूप में भी कार्य करेगा।

मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) का प्रतिस्थापन

5. मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नवत् उपधारा (2) प्रतिस्थापित कर दी जायेगी :–

(2) पर्यटन निदेशालय के अधीन तत्समय कार्यरत समस्त सरकारी सेवक यथावत् सरकारी सेवक बने रहेंगे तथा उनकी सेवायें लागू सेवा नियमावली के अनुरूप व्यवहृत होंगी, जिन्हें वेतन आदि का भुगतान अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति एकीकृत वेतन भुगतान प्रणाली के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों से कोषागारों द्वारा किया जायेगा तथा उनको शासन द्वारा समय–समय पर राज्य कर्मचारियों को दिये जाने वाले समस्त लाभ तथा सेवानिवृत्ति के उपरान्त मिलने वाले लाभ यथा पेंशन, ग्रेच्युटी, सामान्य बीमा योजना, अवकाश नकदीकरण इत्यादि शासन द्वारा वहन किये जाते रहेंगे।

मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (3) के बाद एक नई उपधारा (4) का जोड़ा जाना

6. मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (3) के बाद निम्नवत् एक नई उपधारा (4) को जोड़ दिया जायेगा :–

(4) पर्यटन निदेशालय के अधीन कार्यरत समस्त राजकीय सेवकों से उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् में संविलियन हेतु विकल्प दिये जाने का अवसर दिया जायेगा तथा जो परिषद् की सेवाओं में संविलीन नहीं होना चाहते हों, उनके लिए वर्तमान में उपलब्ध पदों के अनुरूप आवश्यकतानुसार अलग से प्रारूप तैयार किया जायेगा। सरकारी सेवकों के लिये परिषद् के पदों पर प्रतिनियुक्ति का विकल्प भी खुला रहेगा परन्तु प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।

मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के बाद एक नया वाक्य का जोड़ा जाना

7. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के बाद निम्न वाक्य जोड़ दिया जायेगा :–

"एवं पर्यटन निदेशालय के अधीन कार्यरत पूर्व सरकारी सेवकों को वेतन आदि के नियमित भुगतान हेतु सरकार द्वारा सरकारी कोषागारों में प्रचलित एकीकृत वेतन भुगतान प्रणाली के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में नियमित रूप से आय–व्ययक का प्रावधान लेखाशीर्षक की सुसंगत मानक मदों में किया जाता रहेगा।"

आज्ञा से,

यू0 सी0 ध्यानी,
सचिव।